कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–3214/11–सी–FP/UP/Pipeline/143751/2021, लखनऊ, दिनांकः मई 17 ,2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
बुन्देलखण्ड वृत्त,
झांसी।

विषयः– जनपद–झांसी में अदानी टोटल गैस लि0, झांसी द्वारा 200mm Dia कार्बन स्टील पाईप लाइन बिछाने हेतु झांसी–शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–27 के किमी0 सं0–86 से 93.500 (कुल 7.500 किमी0) तक बांयी पटरी पर प्रभावित 0.225 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं झांसी–ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–44 के किमी सं0–6.500 से 18.200 (कुल 11.700 किमी0) तक प्रभावित 0.351 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 0.576 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा सिजवाहा वन ब्लाक में प्रभावित 0.06 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल प्रभावित 0.636 हे0 वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–3351/15–1, दिनांक 28.04.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव में परियोजना में प्रभावित होने वाली आरक्षित वनभूमि का लीज अवधि प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
3. प्रस्ताव में संलग्न वनभूमि की गणना के कॉलम 8 एवं 9 में 0.6 आरक्षित वनभूमि को संरक्षित दर्शाया गया है। अतः सही कर ऑनलाइन अपलोड करें।
4. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट संलग्न है, किन्तु उस पर शीर्षक व लीजेण्ड अंकित नहीं है। अतः शीर्षक व लीजेण्ड युक्त 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
5. वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र में झांसी–शिवपुरी मार्ग में प्रभावित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.255 हे0 अंकित किया गया है, जोकि गलत है। अतः सही क्षेत्रफल 0.225 हे0 अंकित कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
6. हार्डकापी भाग–2 के क्रॉलम–7 में सिजवाहा में प्रभावित आरक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.066 हे0 अंकित किया गया है, जोकि गलत है। अतः सही क्षेत्रफल 0.06 हे0 अंकित कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
7. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि की वैधानिक स्थिति PF अंकित है, जोकि गलत है। अतः RF अंकित करें।
8. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 में अपलोड किया गया प्रभागीय वनाधिकारी का त्रुटिपूर्ण संस्तुति को डिलिट कर सही संस्तुति अपलोड करें।
9. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पूर्ण पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–3214/11–सी–FP/UP/Pipeline/143751/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
2. उप प्रबन्धक, अदानी टोटल गैस लि0, झांसी।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-504